

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner

सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

फा.सं. II-31(203)सीसीयू/जे.पी.आर./2023/940

दिनांक: 30.11.2023

ज्ञापन

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-2 रु 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु 4200/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 35400-112400 में लेवल 6 (Level-6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में आशुलिपिक ग्रेड-1 (Stenographer Grade-I) (ग्रुप-ब अराजपत्रित) के पद पर अस्थाई नियुक्ति (on provisional basis) का प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	Shri Jai Khanna	04/02/2000	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/STENOGRAPHER-I/ 89442 dated 29.11.2023
2	Shri Gaurav Mishra	09/12/1994	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/STENOGRAPHER-I/ 89443 dated 29.11.2023
3	Shri Ashish Dhanvani	01/09/1999	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/STENOGRAPHER-I/ 89445 dated 29.11.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-“अ” में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी:-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव DOPT के O.M. No. 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(i) दिनांक 29.06.2016 जो कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फा.सं A-12034/7/2019-Ad.IIIB दिनांक 13.05.2019 के द्वारा अग्रेषित किया गया है, के अनुसार provisional basis पर इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उपरोक्त ज्ञापन बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनका आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।
- उनकी आशुलिपिक ग्रेड-1 श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।
- यदि वे संलग्न एनकजर-“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 29.12.2023 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनकजर-“अ”

(चेतन कुमार जैन)
प्रधान आयुक्त

Regd. AD

- (1) Shri Jai Khanna S/o Shri Puneet Khanna, C-44, Near Parnami Mandir, Raja Park, Jaipur, Rajasthan- 302004.
- (2) Shri Gaurav Mishra S/o Shri Ramavatar Sharma, Nichla Bazar, Main Market, Bhusawar, District-Bharatpur, Rajasthan-321406.
- (3) Shri Ashish Dhanvani S/o Shri Jitendra Dhanvani, 8/16 Eidgaah Street, Chang Chittar Road, Beawar, District-Ajmer, Rajasthan-305901.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. The Under Secretary (Ad.III.B), Central Board of Excise & Customs, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 with reference to his letter F. No. A-12034/SSC/06/2022-Ad.III(B) dated 12.09.2022.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. निजी प्रति/निजी पत्रावली/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
6. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

चेतन जैन
(चेतन कुमार जैन)
प्रधान आयुक्त